

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 101 : Audit**

- (1) The period of audit to be conducted under sub-section (1) of section 65 shall be a financial year <sup>1</sup>[or part thereof] or multiples thereof.
- (2) Where it is decided to undertake the audit of a registered person in accordance with the provisions of section 65, the proper officer shall issue a notice in **FORM GST ADT-01** in accordance with the provisions of sub-section (3) of the said section.
- (3) The proper officer authorised to conduct audit of the records and books of account of the registered person shall, with the assistance of the team of officers and officials accompanying him, verify the documents on the basis of which the books of account are maintained and the returns and statements furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder, the correctness of the turnover, exemptions and deductions claimed, the rate of tax applied in respect of the supply of goods or services or both, the input tax credit availed and utilised, refund claimed, and other relevant issues and record the observations in his audit notes.
- (4) The proper officer may inform the registered person of the discrepancies noticed, if any, as observed in the audit and the said person may file his reply and the proper officer shall finalise the findings of the audit after due consideration of the reply furnished.
- (5) On conclusion of the audit, the proper officer shall inform the findings of audit to the registered person in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 65 in **FORM GST ADT-02**.

---

<sup>1</sup> Inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 101 : संपरीक्षा**

- (1) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष <sup>1</sup>[या उसका भाग] या उसका गुणक होगी।
- (2) जहां धारा 65 के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की संपरीक्षा करने का विनिश्चय किया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी-1** में नोटिस उक्त धारा की उपधारा (3) के संबंधों के अनुसार जारी करेगा।
- (3) उचित अधिकारी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा बहियों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है, अधिकारियों की टीम और उसके साथ के पदधारियों की सहायता से वह दस्तावेज सत्यापित करेगा जिसके आधार पर लेखा बहियां अनुरक्षित की जाती है और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी और कथन, अवर्त की सत्यता, दावा की गई छूटें और कटौतियां, मालों की प्रदाय या सेवाओं या दोनों के संबंध में लागू कर की दर, उपयोग और उपयोजित इनपुट कर प्रत्यय, दावा किया गया प्रतिदाय और अन्य सुसंगत मुद्दे तथा उसके संपरीक्षा टिप्पणों में अभिलेख और प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।
- (4) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विसंगतियां यदि कोई हो के बारे में सूचित कर सकेगा और उक्त व्यक्ति अपना उत्तर फाइल कर सकेगा तथा उचित अधिकारी दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् संपरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा।
- (5) संपरीक्षा के समाप्त होने पर उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी-02** में धारा 65 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संपरीक्षा के निष्कर्षों बारे में सूचित करेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।